अध्याय-2

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के गठबंधन की राजनीति पर विचार

डॉ. अम्बेडकर एक (14 अप्रैल 1891 से 6 दिसम्बर 1956 तक) राजनैतिक दृष्टा थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिये अथक प्रयास किया। उनका विचार था कि दलितों को सामाजिक व आर्थिक अधिकार के बिना राजनैतिक अधिकार के निरर्थक हैं। दलित वर्ग के अन्दर जब तक राजनैतिक चेतना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक इनका उत्थान होना असम्भव है, परन्तु वह इस बात से भी परिचित थे कि दलित अपने बल पर सत्ता हासिल नहीं कर सकते। अतः उन्होंने दलित व अन्य पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन करने का भी प्रयास किया था। जिससे की वह सत्ता प्राप्त करके दलितों का उत्थान कर सकें और यही नहीं उन्होंने समान विचारों वाली सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके उसके अन्दर एक नई शक्ति पैदा की, मगर वह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं रह सका, पर उनका मिशन जारी रहा और वह डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे।[1] जिसके कारण वह एक दूसरे से मिलने को भी उत्सुक हो रहे थे, परन्तु डॉ. अम्बेडकर का उसी बीच निधन हो गया और उनका सपना अधूरा रह गया।

दलित को हजारों साल से ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों से वंचित करके रखा। जिससे अम्बेडकर दलितों की दासता की पीड़ा को अच्छी तरह समझते थे और उस दासता की पीड़ा से छुटकारा दिलाना उनका एक मिशन था उन्होंने समता, स्वतन्त्रता और बन्धुता के बल पर उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया। वे दलित व अन्य पिछड़ी जातियों को संगठित करके उनका एक गठबंधन तैयार करना चाहते थे जिससे ब्राह्मणवादी विचारधारा से छुटकारा पाने के लिये सत्ता प्राप्त की जाये। सत्ता से दलितों के शोषण की मुक्ति होगी वह मुक्ति शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो के सिद्धान्तों के अनुसार

---

1. डॉ. पूरण मल, *अम्बेडकर और दलितोद्धार आन्दोलन,* आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2009, पृ. 187.

प्राप्त होगी।

अम्बेडकर दलित उत्थान के अधिकारों के लिये अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सहारा लेते हुए उन्होंने अनेक सत्याग्रह व आन्दोलन चलाये, जिनमें उनको सफलताओं के साथ-साथ कुछ असफलता भी प्राप्त हुई। लेकिन वह इस बात से अच्छी तरह से परिचित थे कि दलितों के अन्दर जब तक राजनैतिक चेतना उत्पन्न नहीं होगी तब तक दलितों का उत्थान होना असम्भव है क्योंकि दलितों के उत्थान की पराकाष्ठा राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति में ही निहित है।[2] जिसके कारण उन्होंने अपने कार्यों को राजनैतिक रूप देकर दलित व अन्य पिछड़ी जातियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाने का भी प्रयास किया। मगर इनका मिशन पूरा नहीं हो सका। अम्बेडकर के राजनैतिक दल का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना ही नहीं था बल्कि उनकी पार्टी का अस्तित्व लोगों को शिक्षित, संघर्षशील तथा संगठित करना भी था।[3]

डॉ. अम्बेडकर की राजनीति के तीन सिद्धान्त

अम्बेडकर के ये तीन सिद्धान्त, मानव की प्रेरणा का स्रोत बन कर उभरे, क्योंकि अछूतों व दलितों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था और शिक्षण संस्थाओं तथा पाठशालाओं के द्वार उनके लिये बिल्कुल बन्द थे। जिस धरती पर एक ओर उस वेद वाक्य "तमसो मॉ ज्योतिर्गमय'' की ध्वनि गूजती हो और दलितों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना वेद-विरोधी माना जाता था जो कि दलितों पर घोर अन्याय हो रहा था। यह भी सर्वमान्य है कि शिक्षा, पशु-जीवन से मानव जीवन के मार्ग की ओर ले जाती है अर्थात् ज्ञान प्रकाश प्रदान करती है, तो ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया जो कि दलित-अछूत शिक्षा से दूर रहें? यह प्रतिबंध न केवल हिन्दु समाज बल्कि समुचे राष्ट्र के लिये एक दुर्भाग्यपूर्ण परम्परा थी। शिक्षा के अभाव में जनमानस अन्धकार एवं आत्म-ग्लानि में फंस गया था। ऊँच-नीच, अछूत, शिक्षित-अशिक्षित आदि की दीवारें खड़ी हो गई थी। हिन्दु समाज के एक बड़े हिस्से को अछूत बना दिया गया। यह सब चतुर ब्राह्माणवादी नीति के कारण

---

2 M.S. Gaure, *The Social Contract of in Idelology : Ambedkar's Political and Social Thoght,* Sage Publication, New Delhi, 1993, p. 213.

3 यशवन्त सोनटक्के, *बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार,* सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ. 274.

हुआ था।[4] डॉ. अम्बेडकर ने इन समस्याओं को देखकर दलितों को शिक्षित बनो का नारा दिया जो कि डॉ. अम्बेडकर का फार्मूला–1.4 व 1.5 में दर्शाया गया है

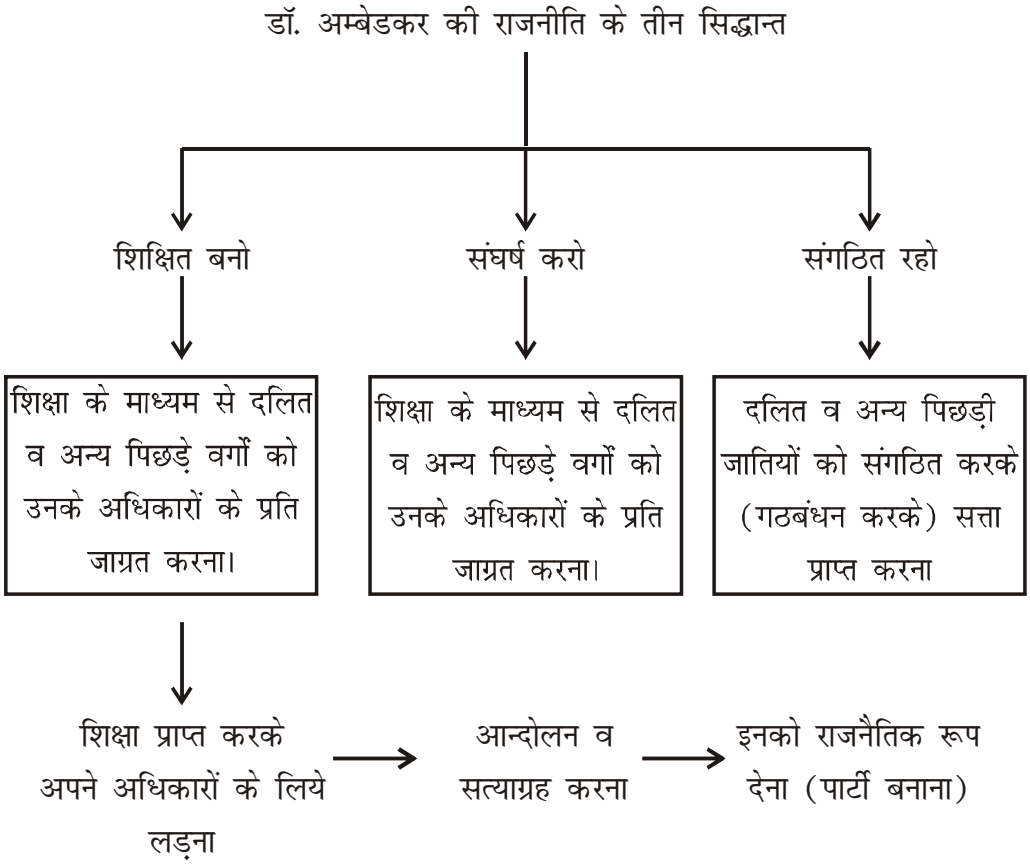

डॉ. अम्बेडकर का फार्मूला - 1.4

4. डॉ. डी. आर. जाटव, *डॉ. अम्बेडकर के त्रयी सिद्धान्त, नया अर्थ : नया सन्दर्भ,* समता साहित्य सदन, जयपुर, 1993, पृ. 24

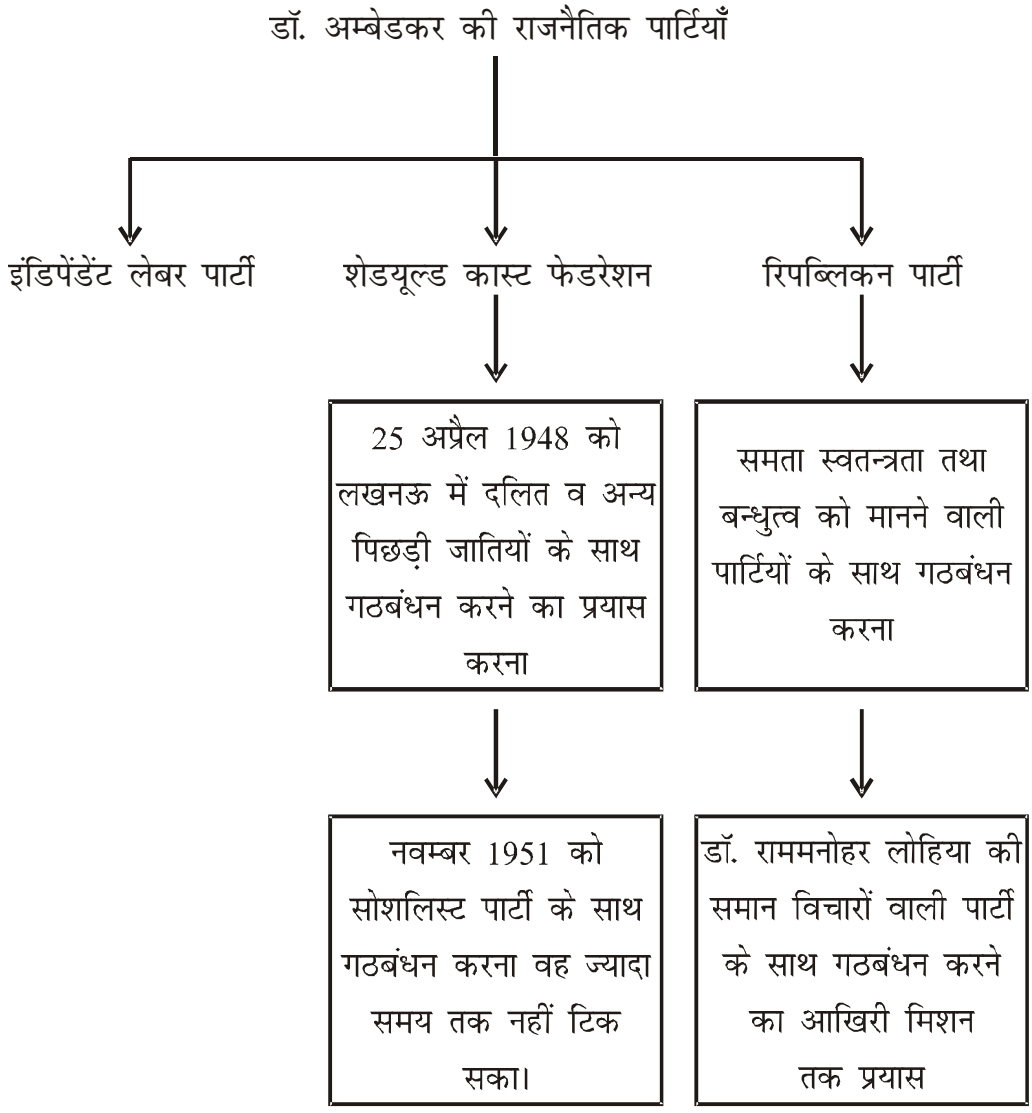

डॉ. अम्बेडकर का फार्मूला - 1.5

संघर्ष करो जो कि अम्बेडकर का दूसरा सिद्धान्त था संघर्ष से तात्पर्य भीड़ एकत्रित कर शोर मचाना या हल्ला-गुल्ला करना नहीं है न ही संघर्ष गुण्डा-गर्दी है। संघर्ष एक सकारात्मक रूप है जिसे संयम ढंग से संचालित किया जाता है और इसमें भी निश्चित लक्ष्य, अच्छी तैयारी संवैधानिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है और संघर्ष में बिखराव और टूटना नहीं होता। यदि होता है तो उसके पीछे संगठन की कमी या स्वार्थी नेतृत्व छिपा होता है। अतः संघर्ष वह प्रक्रिया है जिसमें निष्ठावान कार्यकर्ता तथा नागरिक मिलजुल कर आन्दोलन चलाकर कुछ अपने आदर्शों मूल्यों एवं विधियों को ध्यान में रखते हुए स्थिति को सुधारने का प्रयास करते है। यह संघर्ष समाज व सरकार दोनों के प्रति हो सकता है समाज की कुरीतियों तथा बुराईयों को

समाप्त करने का आन्दोलन सरकार से कुछ मांगने के संघर्ष से कहीं अधिक गम्भीर तथा खतरनाक होता है क्योंकि समाज के रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी तत्व सदैव प्रगतिशील परिवर्तन का प्रतिरोध करते है, जिससे संघर्ष की रूपरेखा सुनिश्चित हो, नेतृत्व, निष्ठावान और कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हो, तो वह संघर्ष निश्चय ही सफल होगा।"[5]

अम्बेडकर ने अपने इस सिद्धान्त से प्रेरणा लेकर सबसे पहले महाड़-सत्याग्रह जिससे सार्वजनिक तालाबों व कुँओं से पानी लेने का अधिकार प्राप्त करने के लिये यह आन्दोलन चलाया। तो वही नासिक का कालाराम मन्दिर का सत्याग्रह जो कि दलितों को मन्दिर प्रवेश के प्रतिबंध के कारण चलाया गया। किसान आन्दोलन, मजदूर आन्दोलन व अनेक छुआछूत के प्रति आन्दोलन चलाये गये और यही नहीं इन आन्दोलन की कमियों को पत्र पत्रिकाओं (मूकनायक साप्ताहिक, समता मासिक, बहिष्कृत हितकारणी सभा का गठन) ने पूरा किया और अम्बेडकर ने इन सत्याग्रहों व आन्दोलनो को एक राजनैतिक रूप दिया।[6] जिससे उन्होंने दलित उत्थान को सत्ता की प्राप्ति में ही देखा।

संगठित रहो यह संघर्ष का ही राजनीतिक रूप है। इसका अर्थ है। एकताबद्ध होना और एकता में ही शक्ति दृढ़ता, साहस, संयम, तथा संघर्ष की प्रेरणा निहित है। संगठन के अभाव में शक्ति एवं प्रेरणा का कोई महत्व नहीं होता। संगठन में अपार शक्ति होती है लेकिन ध्यान रहें संगठन का स्वार्थी नेतृत्व उसे गुमराह कर सकता है। शिक्षित तथा जागरूक नागरिकों को ऐसे स्वार्थी नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहिये जिसमें सुयोग्य नेतृत्व उद्‌भूत होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में दलित संगठनों पर बाहरी नेतृत्व न होकर स्वतः प्रेरित नेतृत्व हों तो हितकर रहेगा।[7]

अम्बेडकर अपने संगठन को मजबूत करने के लिये दलित व अन्य पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ

---

5 Ibid., pp.33-34.

6 सत्य नारायण, *बाबा साहिब, डॉ. भीमराव अम्बेडकर : सामाजिक एवं राजनैतिक विचार,* इनडिपेंडेंट पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 1992, पृ. 134-135.

7 डॉ. डी. आर. जाटव, Op.cit., (4), p.33.

में एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि– "सामाजिक उत्थान की चाबी राजनीतिक सत्ता में ही निहित है।" उन्होंने आगे कहा कि "पिछड़े-वर्ग के भाईयों से मेरा यही कहना है कि दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को हमेशा अलग-थलग रहने से बहुत हानि ही हुई है। उच्च वर्ग के लोगों के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिये आपको एकजुट हो जाना चाहिये। बालिग मताधिकार ने जनता के हाथों में सत्ता सौंप दी हैं। मेरी राय में यदि यू.पी. के डेढ़ करोड़ दलित और दो करोड़ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग (1948 के आंकड़े) एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें तो वे विधानसभाओं में आधे से अधिक सीटों पर अपने लोगों को बिठाकर अपनी राय बना सकते है और इस प्रकार राजनैतिक सत्ता पर अपना अधिकार कर सकते हैं। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि यदि पिछड़े वर्ग के लोग अपना एक अलग मोर्चा खड़ा करे। यह सचमुच बड़े खेद की बात है कि दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोगों की अपनी-अपनी शक्ति का मान और अभिमान नहीं है। इसी का परिणाम है कि कथित उच्चवर्गीय लोग शासन पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं।"

वे आगे कहते हैं "भाईयों! आप सब का एक नेता होना चाहिये अपनी एक पार्टी होनी चाहिए और उसका एक कार्यक्रम होना चाहिए कि आप सब अपने अंतर्गत जाति-पाति सम्बन्धी भेदभाव को भूल जाये और फेडरेशन के तत्वावधान में अपने आपको संगठित करें।"[8]

बाबा साहेब ने दुख भरे शब्दों में कहा कि "यह कितने दुख का विषय है कि ये दोनों जिनकी आवश्यकतायें समान है परस्पर साथ ही नहीं है। इसका यही कारण हो सकता है कि यदि वे लोग अनुसूचित जाति के लोगों से सहयोग करेंगे तो उन्हें डर है कि वे भी नीचे उतर कर अनुसूचित जाति या अछूत जातियों के स्तर पर आ जायेंगे। मैं अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की जातियों के बीच रोटी-बेटी का चलन चलाने के लिये उत्सुक नहीं हूँ। पिछड़े वर्ग के लोग अपनी सामाजिक पृथकता बनाए रख सकते है। लेकिन इसका कोई कारण नहीं है कि वे लोग अपने आपको गिरी हुई हालात से ऊपर उठने के लिये परस्पर मिलकर राजनैतिक पार्टी

---

[8] Bhimrao Ramji Ambedkar, *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*. 17 vols. Edited by Vasant Moon. Mumbai, Education Department, Government of Maharashtra, 1979–2006 (III), p.393.

क्यों नहीं बना सकते। अनुसूचित जातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग परस्पर मिलकर देश की जनता का बहुमत बनाते हैं। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों देश पर अपनी हुकूमत कायम नहीं करते। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि आप राजनैतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिये परस्पर संगठित हो जाओ। बालिग मताधिकार की शक्ति से यदि आप चाहें तो राजनीतिक शक्ति आपकी मुट्ठी में है। आप लोग उत्साह और साहस से काम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप पर यह मिथ्या विश्वास सवार है कि कांग्रेस-सरकार हमेशा बनी रहेगी। मैं कहता हूँ यह बिल्कुल गलत ख्याल है। जनता की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कोई भी सरकार हमेशा नहीं बनी रहती। आज यह शासन इस पार्टी के हाथ में है तो कल दूसरी पार्टी के हाथ में होगा। यदि दोनों वर्ग संगठित हो जाए तो आप अपनी सरकार बन सकते हैं।"[9]

अम्बेडकर ने गठबंधन की राजनीति के सिद्धान्त के माध्यम से आह्वान करते हैं कि यह दलित वर्ग सत्ता से हमेशा दूर रहा है उसका अलग-थलग रहने का लाभ ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने हमेशा उठाया है। इस कारण इसकी संख्या 80 प्रतिशत होने पर भी 20 प्रतिशत संख्या वाला वर्ग इस पर शासन करता आया है। आज लोकतन्त्र में बहुमत की सरकार बनती है तो 20 प्रतिशत वर्ग के अत्याचारों से छुटकारा तभी प्राप्त होगा जब यह वर्ग अन्य पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त कर सकें, क्योंकि इन दोनों वर्गों की समान विचारधारा रही है और यह सत्ता से हमेशा दूर रहने के कारण अपने अधिकारों से वंचित ही बने रहे है और इनका उत्थान सत्ता प्राप्ति में ही निहित है।

उन्होंने नवम्बर 1951 को गठबंधन बनाने का दूसरा प्रयास किया। वह पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जनजातियों के साथ शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन को मिलाकर देखा। वह कहते हैं कि "शेडयूल्ड कास्टस फेडरेशन पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ मिल-जुलकर काम करना चाहता है। यह इसलिये कि वे कम या ज्यादा उसी स्थिति में हैं जिसमें अनुसूचित जातियाँ हैं। दुर्भोग्य से इन वर्गों ने उतनी राजनीतिक चेतना विकसित नहीं की जितनी अनुसूचित जातियॉ पिछले 20 वर्षों में शेडयूल्ड कास्ट फेडरेसन की राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों के कारण

---

[9] Ibid., pp. 390-391.

आगे आये हैं। स्वतन्त्रत भारत के संविधान ने पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को वस्तुतः देश का मालिक बनाया है। अभी तक उच्च हिन्दुओं की अल्पसंख्यक जातियों ने अपने आप को देश का शासक बनाया है। शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन को इस बात का भय है कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियॉ व जनजातिया, चेतना के अभाव में उच्च हिन्दू जातियों का शिकार होकर, अपने स्वयं के मालिक होने के बजाय उच्च हिन्दुओं के निरंतर गुलाम बनकर रहेंगे। शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन का यह प्रथम कार्य है कि वे इन वर्गों की मदद कर उन्हें स्वावलम्बी बनायें। यदि वे चाहते हैं तो शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन अपना नाम बदलकर बैकवर्ड क्लास फेडरेशन करने को तैयार है जिससे दोनों वर्ग एक संगठन में सम्मिलित हो। यदि यह संभव नहीं है तो शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन ऐसे संगठन के साथ क्रियाशील गठबंधन करने को तैयार रहेगा।"[10]

अम्बेडकर पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति व जनजातियों को शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं। वह कहते हैं कि इस वर्ग के पास राजनैतिक चेतना की कमी के कारण यह वर्ग अपने अधिकारों से वंचित रहा है। ये वर्ग शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ गठबंधन करके सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति यह बड़ी आसानी से अवलोकन कर सकता है कि न केवल भारत में, अपितु संसार के सभी देशों में अधिकतर राजनैतिक दल पहले आन्दोलन व सत्याग्रह का सहारा लेकर एक राजनैतिक ढाँचा तैयार करते हैं उस ढाँचे को एक राजनैतिक रूप देकर उन्हें एक गठबंधन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है जिससे वह सत्ता प्राप्त करने के लिये बहुमत हासिल कर सकें। यही मिशन अम्बेडकर ने तैयार किया था उनका मिशन समता, स्वतन्त्रता व बन्धुता को आधार बनाकर उन्होंने राजनीति में पैर रखा पहले पृथक निर्वाचन फिर वोट का अधिकार फिर पृथक एवं आत्मनिर्भर राजनैतिक दलों 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एवं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' को दलितों तक सीमित रखकर अम्बेडकर ने दलितों को पृथक अस्मिता प्रादान की।

---

[10] Bhimrao Ramji Ambedkar, *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches.* 17 vols. Edited by Vasant Moon(1) Mumbai, Education Department, Government of Maharashtra, 1979–2006, pp.401-402.

इसी अस्मिता के बल पर दलितों ने आगे चलकर अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रदर्शन कर दूसरी राजनैतिक पार्टियों की निगाह में अपने अस्तित्व को स्थापित करके, अपने अधिकारों की मांग की।[11] इसी आधार को विस्तृत करते हुये अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाने से पहले दलितों को अन्य पिछड़ी जातियों के साथ संगठित करके एक गठबंधन बनाने की कोशिश की जो उनके सिद्धान्त का मिशन था।

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी

अम्बेडकर ने अपने सत्याग्रह व आन्दोलनों (संघर्ष) को एक राजनैतिक रूप देकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना (1936 में) की। अम्बेडकर ने अपनी पार्टी का नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इस लिये रखा क्योंकि अन्य राजनीतिक पार्टियों के संगठनों से उनकी पार्टी पूरी तरह अलग होगी। लेकिन समान विचारधारा वाली पार्टी (अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग) के साथ गठबंधन करने को तैयार रहेगी। हमारी पार्टी का कार्यक्रम बुनियादी तौर पर मजदूर वर्ग के कल्याण के लिये है। इसलिए यह एक मजदूर संगठन है जिस वर्ग के (मजदूर) हित-सम्बन्धों को हमारा दल महत्व देता है उसी वर्ग की मुक्ति के लिए उचित प्रकार के लक्ष्य और नीति में हमारे दल की आस्था है। दलित वर्ग इस नाम के बजाय मजदूर शब्द का इस्तेमाल करने का उद्देश्य यही है कि 'मजदूर' वर्ग में दलितों की ही अधिकतर आबादी है।[12]

अम्बेडकर कहते हैं कि " मुझे दो बातें कहने में कोई संकोच नहीं है। इस हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत बड़ी पार्टी माना जाता है। यह होते हुए भी मैंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अलग संगठन क्यों बनाया? इसकी वजह एक ही है कि कांग्रेस में जिन पूँजीपतियों की तादाद ज्यादा है वे लोग अपनी भलाई के बारे में सोचेंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। उसी प्रकार कामगार वर्ग में दूसरा एक दल बनाया गया है। इस लाल झंडे के आन्दोलन से श्रमजीवी वर्ग

---

[11] डॉ. विवेक कुमार, *बहुजन समाज पार्टी एवं संरचनात्मक परिवर्तन,* सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ. 30.

[12] कन्हैया लाल चंचरीक, *भारत में दलित आन्दोलन एक मूल्यांकन : ज्योतिबा फूले से डॉ. अम्बेडकर तक,* अतुल प्रिंटर्स, दिल्ली, 2006, पृ. 161-162.

की आज की स्थिति में भलाई होगी जिससे मुझे इस पार्टी की स्थापना करनी पड़ी।"[13]

अम्बेडकर का मकसद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करके दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों को संगठित (गठबंधन) करके उनके अन्दर राजनैतिक चेतना उत्पन्न करके दलितों का उत्थान होना सम्भव है क्योंकि कांग्रेस हमेशा उच्च वर्गीय पार्टी बनी रही है। जो दलितों के अधिकारों को हमेशा अनदेखा करती रही है। हमारी पार्टी सत्ता प्राप्त करने में असमर्थ भी होती है तो भी विपक्ष में रहकर अपनी अहम भूमिका अदा कर सकती है जिससे यह कार्य दलितों के लिये काफी सराहनीय सिद्ध होगा।

फरवरी 1937 में बम्बई विधानसभा के चुनावों में वे 17 सीटों में से 13 सीटों पर उनके उम्मीदवार विजयी रहे। सितम्बर 1937 को अम्बेडकर ने विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें जमींदारी से उनकी जमीन का मुआवजा देकर उसका मालिकाना हक जोतदार किसानों को दिये जाने का प्रावधान किये जाने की मांग की गई। जनवरी 1938 में अम्बेडकर अपने कुछ साथियों के साथ मुख्यमंत्री से मिले और जमींदारी तथा पट्टेदारी व्यवस्थाएँ समाप्त करने से संबधित कानून पारित करने तथा कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी तय करने की मांग की। 13 मई, 1938 को कोंकण में अस्पृश्यों की एक सभा में उन्होंने कहा कि– "आप यह कसम खा लें कि आप लोग मृत जानवरों का माँस नहीं खायेंगे और न ही उन्हें उठायेंगे। शिक्षित दलितों को चाहिये कि वे ऊँची जाति के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से याचना न करें अपितु अपने कानूनी अधिकारों के लिये लड़ें और उन्हें प्राप्त करें।"[14]

यह पार्टी दलित वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी। जिससे यह अन्य वर्गों के साथ मिलकर सत्ता प्राप्त कर सकें। सत्ता भी हाथ न लगे तो भी एक विरोधी दल की भूमिका अदा कर सकें और इसी बीच अम्बेडकर ने ब्राह्मण और उच्च जातियों के अन्य मजदूर संगठनों व उनके प्रभावों से इस दलित वर्ग को मुक्त करने के लिये एक भारतीय श्रम आन्दोलन

---

13 *साप्ताहिक 'जनता'* के 27 नम्बर, 1937 के अंक में प्रकाशित,

14 डॉ. पूरण मल, Op.cit., (1), p.176.

के अंतर्गत एक इंडिपेंडेट लेबर पार्टी बनाने का कार्य अहम रहा है और इन्होंने दलितों का मार्ग दर्शन मजदूर वर्ग के रूप में करके उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के साथ जोड़ने की कोशिश की।

ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ)

अम्बेडकर ने जब से राजनीति में पैर रखा तभी से उनके अन्दर एक विचार पैदा हो रहा था कि एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन होना चाहिये। उसका एक अध्यक्ष होना चाहिये और प्रान्तों में उसकी शाखायें और कस्बो में भी हमारे संगठन का भवन होना चाहिये जिससे की वर्तमान में सभी संगठन इसी में विलय हो जाये। इसके कारण हमें एक संयुक्त शक्ति के रूप में सहायता प्राप्त हो सकती है और अपनी मांगों और समस्याओं का निदान आसानी से हो सकेगा। 19 जुलाई 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का उदय हुआ। इसी संघ ने दलितों व अन्य पिछड़े वर्ग के अन्दर राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जिससे यह वर्ग मिलकर (गठबंधन करके) सत्ता प्राप्त कर सकें।

शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के पीछे उनका विचार था कि कांग्रेस के लिये एक विरोधी पार्टी की आवश्यकता है और यह आवश्यकता तभी पूरी होगी जब हम मजबूत पार्टी की स्थापना करने में सफल हों। हम चुनाव भी नहीं जीत सके तो भी लोकतन्त्र के रूप में विपक्ष की अहम भूमिका निभा सकते हैं जिससे कांग्रेस की एक दल की प्रभुता को खत्म किया जा सकता हैं। जिसके कारण इसका घोषणा पत्र भारतीय राजनीति में विशेष महत्व रखता है।[15]

अम्बेडकर ने दलित फेडरेशन में पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति के साथ गठबंधन करने का प्रयत्न किया, क्योंकि इनकी स्थिति दलितों जैसी ही हमेशा बनी रही है। दलितों के अंदर जितनी राजनैतिक चेतना उत्पन्न हुई उतनी इस वर्ग में नहीं हो सकी। यह हमेशा अपने अधिकारों के प्रति पिछड़ा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार स्वतन्त्र भारत में पिछड़ा वर्ग व

---

[15] डॉ. म. ला. शहारे, डॉ. नलिनी अनिल, *डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा एवं सन्देश,* सेगमेंट बुक्स, नई दिल्ली, 1993, पृ. 207-210.

दलित और अनुसूचित जनजातियाँ यदि हमारे देश के असली सूत्रधार हैं। जबकि 20 प्रतिशत सत्ताधारी वर्ग ने इनकी अज्ञानता के कारणों द्वारा षड्यंत्र का शिकार बना कर उन्हें अज्ञानता के पर्दे में हमेशा गुलाम बना कर रखा। इनको अज्ञानता के पर्दे से निकालने के लिये शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन हमेशा संघर्ष करता रहेगा।

वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के पहले आम चुनावों के पूर्व फेडरेशन ने प्रजासोशलिस्ट पार्टी से गठबंधन किया। उन्होंने फेडरेशन(संघ) का चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि संघ प्रत्येक भारतीय को स्वयं में एक अंतिम लक्ष्य मानेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुरूप अपना विकास करने का अधिकार होगा। और राज्य उस अंतिम लक्ष्य का साधन मात्र होगा। यह प्रत्येक भारतीय की धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। और सभी को बराबर के अवसर पाने के अधिकारों की रक्षा करेगा। प्रत्येक भारतीय को भयमुक्त व अभावमुक्त रखने के दायित्व से स्वयं को सदैव जागरूक रखेगा। संघ स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना बनाए रखने पर बल देगा तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच वर्ग-वर्ग के बीच, राष्ट्र व राष्ट्र के बीच किसी भी तरह के उत्पीड़न व शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए जोरदार प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों के अलावा संघ का घोषणापत्र कुछ सिद्धान्तों को भी स्पष्ट करता है जिसके आधार पर फेडरेशन को अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करने लिए उसके कुछ उद्देश्य है जो कि निम्न हैं[16]:-

1. फेडरेशन किसी भी ऐसे दल से गठबंधन नहीं करेगा जो अपने सिद्धान्तों को सामने खुलकर प्रकट नहीं करते है या जिसके सिद्धान्त संघ के सिद्धान्तों के विरूद्ध हों।

2. संघ निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन नहीं देगा।

3. फेडरेशन पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ मिलकर काम करना चाहेगा, क्योंकि कमोवेश इनकी दशा अनुसूचित जातियों जैसी ही है।

---

[16] डॉ. पूरण मल, Op.cit., (1) p.184.

4. प्रतिक्रियावादी दलों एवं हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन से कोई गठबंधन नहीं करेगा।

5. संघ वामपंथी दलों से कोई गठबंधन नहीं करेगा, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता व लोकतंत्र को नष्ट कर उसकी जगह तानाशाही स्थापित करना चाहते है।

6. संघ ऐसे दल के साथ सहयोग करने को तैयार है। जिसने अपने सिद्धान्त स्पष्ट रूप से सामने रखे हो और उसके सिद्धान्त संघ के विरोधी नहीं होने चाहिये। जो दल गठबंधन के इच्छुक हो उन्हें अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उत्थान के प्रति इन दलों को वचन देना होगा की वह उनके कार्यक्रम में समर्थन देंगे तो वह दल इस दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं।

8. कोई भी दल व्यक्ति की सहायता चाहता हो तो उसको सदस्यता के साथ-साथ फेडरेशन के शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। जो फेडरेशन के नियमों, सिद्धान्तों, योजनाओं को और अनुशासन के नियमों के अनुसार चला सके।[17]

इन उद्देश्यों को फेडरेशन में रखा। पिछड़ी जातियों की समस्या अनुसूचित जातियों से मिलती-जुलती है। इस कारण उन्होंने पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन को ही शामिल किया न कि अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन को। 1952 के चुनावों में अम्बेडकर स्वयं चुनाव हार गये जिससे उनको बहुत निराशाजनक परिणाम प्राप्त हुआ। उनकी पराजय के कुछ कारण भी थे।

1. कश्मीर विभाजन की मांग,

2. मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था करने की मांग,

3. जनता के मध्य कोई व्यापक चुनाव-प्रचार न करना,

---

[17] नानकचंद रत्तू, *डॉ. अम्बेडकर जीवन के अंतिम कुछ वर्ष,* संपादक मजीद अहमद, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 37.

4. एक असंगठित पार्टी का होना,

5. अम्बेडकर संविधान निर्माण एवं विधिमंत्री के रूप में अत्यधिक व्यस्त रहे। संघ को समय न दे सके।[18]

वैसे तो अम्बेडकर का प्रमुख लक्ष्य कांग्रेस को हराना था और हरा भी न सकें तो एक विरोधी पार्टी के रूप में भूमिका निभाना उनका कार्य था। मार्च 1952 के अंत में अम्बेडकर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। मई 1954 में उन्होंने लोकसभा के लिए पुनः उप चुनाव लड़ा लेकिन पराजित हुए। दोनों बार पराजय का सामना करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जिस पार्टी का गांव में समर्थन नहीं हो रहा हो तो चुनावों में वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकती।

फेडरेशन(संघ) ने अनुसूचित जाति के लिये उसके अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की। उसके स्वाभिमान और एकता एवं शक्ति में नया सौन्दर्य पैदा किया। जिससे उसने अन्य वर्गों के साथ एक दीवार खड़ी कर दी। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विचार समतुल्य नहीं रहा है। अम्बेडकर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्ता पर आधारित एक नये गठबंधन की राजनीति का सिद्धान्त घोषित किया। इसी वजह से उन्होंने अनुभव किया कि फेडरेशन अपनी पहचान खो चुका है और एक विशाल आधार वाली पार्टी की समय के अनुरूप आज जरूरत है। इस कारण संघ को भंग करके एक नयी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया। इस पार्टी का सभी वर्गों के लिये दरबार खुला होगा। समता, स्वतन्त्रता, व भाईचारे के सिद्धान्त को अपनाने वाले लोगों को इस पार्टी में जगह दी जायेगी।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आर.पी.आई.)

फेडरेशन(संघ) दलित वर्गों का एक मात्र संगठन था और इसके प्रथम अध्यक्ष, राय बहादुर एवं शिवराज थे। अपने उदय के दिनों से ही संघ को अनुसूचित जाति का पूर्ण समर्थन

---

[18] डॉ. पूरण मल, Op.cit., (1) p.185.

प्राप्त था। अस्पृश्यों का एक मात्र संगठन होने के कारण इसके अन्दर निज विश्वास, उत्साह और आशाएं भर दी और यह संगठन पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण फला-फूला, अपने नेता अम्बेडकर के दिशा-निर्देशन में संघ ने अपनी राजनैतिक मांगों के लिये सफल संघर्ष किया, उन्हें सम्मान और गौरव दिलाने के साथ-साथ उनके अन्दर (दलित व शोषित वर्गों के अन्दर) सत्ता प्राप्त करने की इच्छा जागृत की। जिन्होंने सदियों से उनका शोषण किया और उन्हें दास बनाये रखा उनके प्रति विरोधी भावना जाग्रत की।[19]

अम्बेडकर ने अपने फेडरेशन(संघ) के माध्यम से अस्पृश्य जातियों में अपने हकों व विशेषाधिकारों में जागरूकता पैदा की, उनमें स्वाभिमान एकता और शक्ति का संचार पैदा किया पर साथ ही इससे अन्य वर्गों बीच एक दीवार भी बड़ी कर दी। जिसके कारण उनका पुराना तरीका व विचार भारत की जनता में बढ़ती हुई लोकतांत्रिक चेतना के समतुल्य नहीं रहा है। जिससे उन्होंने सब जातियों एवं वर्गों को साथ लेकर चलने वाली एक विशाल आधार वाली राजनैतिक पार्टी के निर्माण की आवश्यकता महसूस की। अत: अम्बेडकर ने संघ को भंग करके एक नई पार्टी 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' (आर.पी.आई.) बनाने का विचार रखा। जिसकी राष्ट्रीय छवि हो और उसके दरवार समता, स्वतन्त्रता व भाईचारा को स्वीकार करने वाले सभी वर्गों के लिए खुली हो।

अम्बेडकर ने 25 नवम्बर 1952 को बम्बई के शिवाजी पार्क में लगभग दो लाख लोगों की विशाल सभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के नवजात गणतंत्र के निर्माण के लिये एक विपक्षी दल की अत्यन्त आवश्यकता है, जो सत्ता रूढ़ दल पर अंकुश रख सके। उन्होंने अपनी बहुप्रतिक्षित योजना का खुलासा किया कि आर.पी.आई. का गठन किया जाए ताकि देश की राजनीति में एक नये रक्त का संचार हो सके। आर.पी.आई का लक्ष्य सभी अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों को पार्टी के झंडे तले संगठित करना था ताकि शासक दल को एक प्रामाणिक चुनौती दी जा सके। उन्हें आशा थी कि पार्टी के गठन की घोषणा होते ही इसके समर्पित सशक्त इरादों वाले और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कारण

---

[19] Ibid., p. 186.

इसकी छवि बेहतर बनेगी तथा अन्य अल्पसंख्यक दलों के नेता इसमें शामिल होंगे और जिससे यह आन्दोलन प्रगति की ओर आकर्षित होगा।[20]

अम्बेडकर अपने खराब स्वास्थ्य के कारण आर.पी.आई के ढाँचे को शीघ्रताशीघ्र मजबूत करना उनका पहला मिशन था जिसमें उन्होंने अनेक नेताओं से सम्पर्क किया जिनमें राम मनोहर लोहिया प्रमुख थे इनके साथ वह गठबंधन करके पार्टी के अन्दर एक नई शक्ति पैदा करना चाहते थे जिससे दलित व अन्य पिछड़ी जातियाँ मिलकर सत्ता प्राप्त कर सके। उनके इस प्रस्ताव का राम मनोहर लोहिया ने स्वागत किया और समाजवादी पार्टी का आर.पी.आई. के साथ गठबंधन करने का समर्थन किया, क्योंकि लोहिया मानते थे कि कांग्रेस व उसके समान विचार वाले दलों को इन दलित व अन्य पिछड़ी जातियों का गठबंधन का जोरदार उत्तर होगा। 10 दिसम्बर 1955 को लोहिया ने अम्बेडकर को पत्र लिखा कि "अभी भी मैं चाहता हूँ कि सहानुभूति के साथ आक्रोश उठ खड़ा हो और आप केवल अनुसूचित जाति के लोगों के ही नहीं अपितु भारत के लोगों के नेता बनें।"[21]

लोहिया द्वारा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना (सम्मेलन 30 व 31 दिसम्बर 1955 और 1 और 2 जनवरी 1956 को) हैदराबाद में हुई। अम्बेडकर उसमें तो शामिल नहीं हो सकें लेकिन उन्होंने इस नई पार्टी की घोषणाओं तथा कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेनी शुरु कर दी। कुछ समय बाद राम मनोहर लोहिया की तरफ से विमल महरोत्रा और धर्मवीर गोस्वामी अम्बेडकर से मिले। अम्बेडकर ने इस मुलाकात के बाद लोहिया को 24 सितम्बर 1956 को यह पत्र लिखा।[22]

---

[20] Ibid., p.187.

[21] Ibid., p.188.

[22] मस्तराम कपूर, ''दलित राजनीति के भटकाव'', राजकिशोर, (सम्पादक) *आज के प्रश्न : दलित राजनीति की समस्याएँ,* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 28,

प्रिय डॉक्टर लोहिया,

"आपके दो मित्र मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत की, हालाँकि हम लोगों में आपके चुनाव कार्यक्रमों के बारे में कोई बात नहीं हुई। अखिल भारतीय संघ की कार्य समिति की बैठक 30 दिसम्बर 1956 को होगी और मैं समिति के सामने आपके मित्रों का प्रस्ताव रखूँगा। कार्य समिति की बैठक के बाद मैं चाहूँगा कि आपकी पार्टी के प्रमुख लोगों से बातचीत हो ताकि हम लोग अंतिम रूप से तय कर सकें कि साथ होने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप दिल्ली में मंगलवार 2 अक्टूबर 1956 को मेरे यहाँ आ सकें। अगर आप आ रहे हों तो कृपा तार से मुझे सूचित करें ताकि मैं कार्य समिति के कुछ लोगों को भी आप से मिलने के लिये रोक सकूँ।"

आपका

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

अम्बेडकर से मिलने के बाद विमल मेहरोत्रा और धर्मवीर गोस्वामी ने लोहिया से मुलाकात की, जानकारी 27 सितम्बर 1956 को पत्र के माध्यम से दी और उन्होंने कहा कि "जब आप दिल्ली में हों अम्बेडकर आपसे जरूर मिलना चाहते हैं वे वृद्ध है और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है वह सहारा लेकर चलते-फिरते हैं। हम लोगों ने उन्हें कानपुर के आम क्षेत्र से लोक सभा का चुनाव लड़ने का न्यौता दिया। इस बात को उन्होंने नापसंद नहीं किया, लेकिन कहा कि वे आप से पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर बात करना चाहते हैं।"[23]

इसके बाद लोहिया ने उन्हें 1 अक्टूबर 1956 को एक पत्र लिखा जो निम्नलिखित है[24]

---

[23] Ibid., p.29.

[24] Ibid., p.30.

"प्रिय डॉ. अम्बेडकर

आपके 24 सितम्बर के पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। हैदराबाद लौटने पर मैने आज आपका पत्र पढ़ा लेकिन आपके सुझाए समय पर दिल्ली पहुँच सकने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। फिर भी जल्दी-से-जल्दी मैं आपसे मिलना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के बीच में रहूँगा और आपसे दिल्ली में 19 या 20 अक्टूबर को मिल सकूँगा। यदि आप 29 अक्टूबर को बम्बई में हो तो वहाँ पर भी मैं आपसे मिल सकता हूँ। कृपया मुझे तार से सूचित करें कि इन दो तारीखों में कौन-सी तारीख ठीक रहेगी। अन्य मित्रों से आप की सेहत के बारे में जानकर चिंता हुई। आशा है कि आप आवश्यक सावधानी बरत रहे होंगे।

आपका
डॉ. राममनोहर लोहिया"

डॉ. अम्बेडकर ने 5 अक्टूबर, 1956 को लोहिया को पत्र लिखा।[25]

"प्रिय डॉ. लोहिया

आपका एक अक्टूबर 1956 का पत्र सं. 8821 मिला। अगर आप 20 अक्टूबर को मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दिल्ली में रहूँगा आपका स्वागत है समय लेने के लिये टेलीफोन कर लें।

आपका
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर"

अम्बेडकर और लोहिया मिलकर दलित व अन्य पिछड़ी जातियों को मिलाकर एक सशक्त राजनीतिक पार्टी के लिये गठबंधन करने हेतु प्रयत्नशील थे। अक्टूबर, 1956 को लोहिया ने अम्बेडकर को पत्र द्वारा सूचित किया कि "मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अपने देश

[25] Ibid., p.31.

की बौद्धिकता पूरी तरह धराशाही हो गई है। मुझे थोड़ी आशा है कि आप जैसे व्यक्ति को खुलकर अपनी आवाज उठाने की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी के साथ लोहिया ने विमल मेहरोत्रा व धर्मवीर से कहा कि आप लोग अम्बेडकर से बातचीत कर पार्टी के गठबंधन की दिशा तैयार करें। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के अवसर पर नागपुर में एक साक्षात्कार में अम्बेडकर ने प्रेस को बताया कि आर.पी.आई. को गठित करने की उनकी योजना पर्याप्त प्रगति पर हैं और आगामी आम चुनावों से पहले तीन सिद्धान्तों समता, स्वतन्त्रता व बंधुत्व के आधार पर पार्टी का गठन हो जायेगा और पार्टी का आधार विशाल होगा।[26]

अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित आर.पी.आई. का आधार मजबूत होता जा रहा था उसके तीनों सिद्धान्तों के मानने वालों का उन्हें समर्थन प्राप्त होता जा रहा था और दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के संगठनों व दलों का सक्रिय सहयोग मिल रहा था सभी की नजर पार्टी के निर्माण की घोषणा पर लगी हुई थी। उसी समय इस मिशन को एक गहरी चोट लगी। 6 दिसम्बर 1956 को अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण(मृत्यु) हो गया। जिससे वे आर.पी.आई. की योजना को एक मूर्त रूप कभी नहीं दे सके।

लोहिया ने अम्बेडकर की अचानक मृत्यु की सूचना पाकर काभी दु:ख प्रकट किया। और इन दोनों के बीच जो गठबंधन करने की राजनीति चल रही थी वह अब अधूरी रह गयी जो कि अम्बेडकर ने गठबंधन की राजनीति का मिशन तैयार किया था वह पूरा नहीं हो सका। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को भंग करके 30 सितम्बर 1956 को आर.पी.आई. की घोषणा की गई और वह 3 अक्टूबर 1957 को अस्तित्व में आयी और इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे[27]

1. वह समस्त भारतीयों को केवल समान ही नहीं मानेगी बल्कि समानता के हकदार होने पर भी जहाँ समानता का अस्तित्व नहीं है वहाँ उसे स्थापित करेगी और जहाँ उसे नकारा गया वहाँ उसका समर्थन करेगी।

2. वह प्रत्येक भारतीय को एक संपूर्ण ईकाई मानेगी तथा उसे अपने अनुसार अपना

---

[26] डॉ. पूरण मल, Op.cit., (1), p.189.

[27] यशवन्त सोनटक्के, Op.cit., (2), pp.442-443.

विकास करने का अधिकार होगा। राज्य इस कार्य हेतु एक साधन मात्र होगा।

3. यह पार्टी प्रत्येक भारतीयों की धार्मिक, आर्थिक और राजनीति स्वतंत्रता का जतन करेगी।

4. जिसे पूर्व में कोई अवसर ही नहीं दिया गया उन्हें उसका अवसर दिया जायेगा। यह समानता के अधिकार का समर्थन करेगी।

5. प्रत्येक भारतीय को भय और भूख से स्वतन्त्र रखने के उत्तरदायित्व से राज्य को सदैव जागरूक रखेगी।

6. वह समता, स्वतन्त्रता और भाईचारा बनाए रखने हेतु आग्रह करेगी तथा व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा, वर्ग का, वर्ग द्वारा और राष्ट्र का, राष्ट्र द्वारा हो रहे दमन और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत रहेगी।

अम्बेडकर के बाद उनके निकट सहयोगियों पार्टी कार्यकर्त्ताओं और मित्रों ने पर्याप्त विचार-विमर्श करने के वाद अनुसूचित जाति संघ को कांट-छांट करके आ.पी.आई. का निर्माण किया। 1957 में सम्पन्न द्वितीय आम चुनावों में इस पार्टी के आठ सदस्य लोकसभा के लिए चुने गये। प्रारम्भिक दिनों में आर.पी.आई. ने अपना अधिकांश समय और शक्ति भूमिहीन मजदूरों की समस्याओं को खत्म करने में लगाई। आई.पी.आई. के नेता दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में 1959 में 50 हजार कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और 1964 में सत्याग्रह कर सरकार से मांग की गई कि रेलवे लाइनों और नहरों के पास खाली और बेकार पड़ी भूमि, भूमिहीन किसानों को बांट दी जाए। 1969 में महाराष्ट्र राज्य बनने के बाद आर.पी.आई. दो भागों में बंट गई। जिसके कारण यह पार्टी निरन्तर अपना प्रभाव खोती गई और महाराष्ट्र राज्य तक ही सिमटकर रह गई।[28]

रिपब्लिकन पार्टी का पतन उसके उभार के दस साल बाद ही शुरु हो गया था। जिस समाजवाद के लक्ष्य को लेकर ये पार्टी चल रही थी, वह कांग्रेस के लिये खतरनाक था। कांग्रेस

[28] डॉ. पूरण मल, Op.cit., (1), p.190.

जिस ब्राह्मवाद और पूँजीवाद को संरक्षण दे रही थी– दूसरे शब्दों में ब्राह्मणवाद और पूँजीवाद उस कांग्रेस को चला रहा था उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के उभार के कारण संकट पैदा हो रहा था। इसलिए कांग्रेस ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रभावशाली नेताओं को सत्ता का प्रलोभन देकर पार्टी को विभाजित कर दिया। कुछ नेता पूरी तरह कांग्रेस में चले गये और कुछ ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया जिसके कारण उसका हर अंश कांग्रेस का पिछलग्गू बन गया।[29] दादा साहेब गायकवाड़ की मृत्यु के बाद दलित राजनीति अवसरवाद की भेद चढ़ गई। आई.पी.आई. का विभाजन होता रहा और आज यह पार्टी सिमट कर महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रही। बल्कि वहाँ पर भी भारतीय क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भाजपा और शिवसेना के साथ खड़ी है।"[30]

डॉ. अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया

लोहिया ने सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था द्वारा उपेक्षित शोषित सभी तबकों को समाजवादी आंदोलन से जोड़कर इस व्यवस्था को तोड़ने का सपना देखा था। जो भारतीय समाज के लिए कोढ़ बनी हुई थी। अपनी सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से उन्होंने जो जाति तोड़ों कार्यक्रम बनाया उसका एक मुख्य लक्ष्य था कि दलित, पिछड़े आदिवासी, पिछड़े अल्पसंख्यक और सभी वर्गों की महिलाओं को एकत्रित करके देखना। लोहिया को अम्बेडकर के दर्शन से जुड़ने तथा समता की राजनीति से उन्हें जोड़ने की बड़ी लालसा थी। उन्होंने अपने पत्रों/भाषणों, लेखों के माध्यम से इसका काफी जिक्र किया है और पत्रों का भी आदान-प्रदान हुआ था जिससे रिपब्लिकन पार्टी तथा सोशलिष्ट पार्टी के गठबंधन ने राजनीति में समता तथा समानता के मूल्यों की शुरुआत की थी।[31]

लोहिया ने लोकसभा के एक भाषण में कहा था कि "जब तक हम वर्तमान दोष को नहीं समझ पाएंगे तब तक हरिजनों अथवा पिछड़ों को उनका हिस्सा नहीं मिल सकता। इसके लिए व्यापक दृष्टि की जरूरत हैं। यहाँ ये गरीब, स्वर्ण, दलित-पिछड़ों के संयुक्त मोर्चे की बात करते

---

[29] मस्तराम कपूर, Op.cit., (21), p. 34.

[30] मोहनदा नैमिशराय, *बहुजन समाज,* किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 144.

[31] मस्तराम कपूर, Op.cit., (21), p. 33.

हैं। उनके विचार में 43 करोड़ दलित, पिछड़े और साढ़े चार करोड़ ऊँची जाति के गरीब लोगों की राजकीय दोस्ती की खिचड़ी पकेंगी जब उसमें से वह बारूद पैदा होगी, जो पचास लाख बड़े लोगों की ऐय्याशी को जलाकर राख कर देगी और फिर उसके ऊपर नए हिन्दुस्तान का निर्माण हो सकेगा।"[32]

देखा जाये तो उस समय ऐसे दो ही व्यक्ति थे जिनके आचार और विचार के साथ राजनीतिक व्यवहार भी समान थे जो अम्बेडकर और लोहिया ही थे परन्तु दु:ख की बात यह थी कि दोनों के गठबंधन की राजनीति का मिशन अधूरा बनकर ही रह गया।[33] क्योंकि अम्बेडकर की मृत्यु के बाद लोहिया अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जो अम्बेडकर के साथ मिलकर एक राजनैतिक शक्ति पैदा करके, ब्राह्मणवादी विचारधारा को खत्म करना चाहते थे। लोहिया की अम्बेडकर के दर्शन से जुड़ने तथा समता की राजनीति से उन्हें जोड़ने की बड़ी लालसा थी उन्होंने अपने पत्रों, भाषणें में भी इसका जिक्र किया है परन्तु उन्हें एक दूसरे की विचारधारा को समझने में उनको काफी समय लग चुका था जिसके कारण अम्बेडकर का मिशन पूरा नहीं हो सका।

अम्बेडकर और महात्मा गांधी

अम्बेडकर और गांधी बीसवीं शताब्दी के ऐसे विचारक थे जो सामाजिक परिवर्तन के प्रबल पक्षधर थे लेकिन दोनों के चिंतिन में समानता के लिये अलग-अलग विचार दृष्टिगोचर होते हैं। गांधी वर्ण-व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहते थे, किन्तु अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था को पूर्णत: समाप्त कर जातिविहीन समाज की संरचना करना चाहते थे। गांधी अस्पृश्यता के पाप और जातीय व्यवस्था की उपयोगिता के बीच कोई विरोध नहीं देखते थे परन्तु अम्बेडकर की दृष्टि में, जाति को नष्ट किए बिना अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। गांधी दलित समस्या का समाधान राज्य के हस्तक्षेप के बिना चाहते थे किन्तु अम्बेडकर

---

[32] डॉ. रामविलास शर्मा, गांधी, *अम्बेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएँ,* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ. 754.

[33] मोहनदास नैमिशराय, *भारतीय दलित आन्दोलन का इतिहास-2 : बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर और उनके समकालीन,* राधाकृष्ण, नई दिल्ली, 2013, पृ. 175.

दलितों की समस्याओं के समाधान में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक मानते थे।[34]

अम्बेडकर जाति-व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघर्ष को आवश्यक मानते थे। किन्तु गांधी का विचार अलग था। वह हृदय परिवर्तन के द्वारा सामाजिक भेदभाव को मिटाना चाहते थे। अम्बेडकर एक ऐसा समाज देखना चाहते थे जिसमें समता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुता विद्यमान हो। अम्बेडकर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही ऐसे समाज का नव-निर्माण चाहते थे। जिसमें राज्य सभी नागरिकों के जन कल्याण के कार्यों के लिये प्रयत्न करे और एक ऐसी समाज व्यवस्था को कुशलतापूर्वक कायम करे, जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को न्याय प्राप्त हो सकें। गांधी अम्बेडकर से भिन्न एक राज्यहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे। वे हृदय-परिवर्तन द्वारा ही ऐसे समाज का निर्माण संभव मानते हैं। जो हृदय-परिवर्तन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही संभव है।[35]

पूना पैक्ट में गांधी ने अस्पृश्यों की मांगों का विरोध किया क्योंकि उसमें मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के समान अस्पृश्यों को अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने की न्यायोचित मांग गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर की थी। जबकि गांधी ने अस्पृश्यों के अधिकारों पर पानी फेर दिया।[36] गाँधी ने यह कहकर आमरण अनशन आरम्भ किया था कि जब तक अस्पृश्यों को दिया गया संरक्षण पूर्णतया वापस नहीं लिया जाता है तब तक मैं आमरण अनशन करता रहूँगा। अम्बेडकर कहते हैं कि ''मैंने मानवता की पुकार को सुना उस समय मेरे सामने दो ही रास्ते थे। मेरे सामने पहला कर्तव्य था कि गांधी जी के प्राणों को बचाया जाये जिसे मैं मानवीय कर्तव्य मानता हूँ। दूसरी ओर मेरे सामने यह समस्या थी कि अस्पृश्यों के उन अधिकारों की रक्षा की जाए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दिये थे। मैंने इन दोनों में मानवता की पुकार को सुना और गांधी के प्राणों की रक्षा की। मैं साम्प्रदायिक पंचात (Communal Award)[37] में ऐसे ढंग से परिवर्तन करने के लिए राजी हो गया जो गांधी को संतोषजनक लगा।''

---

34 डॉ. विवेकानंद तिवारी, *अछूत मतवाद के सच : गांधी और अम्बेडकर,* सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, 2000, पृ. 364.

35 Ibid., p.365.

36 मोहनदास, नैमिशराय, Op.cit., (32), p. 393.

37 यशवन्त सोनटक्के, Op.cit., (2), p. 259.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड में दी गई सीटों की अपेक्षा पूना पैक्ट में अस्पृश्यों को अधिक सीटें दी गई। पूना पैक्ट से अस्पृश्यों को 148 सीटें मिली थी जबकि कम्युनल अवार्ड में 78 सीटें प्राप्त हुई थीं। कम्युनल अवार्ड ने अस्पृश्यों को बहुत कुछ दिया था इससे मिलने वाले दो लाभ थे–

1. इसमें पृथक मतदाता प्रणाली द्वारा अस्पृश्यों को सीटों का निश्चित कोटा प्रात हो, जिन पर अस्पृश्य उम्मीदवारों को ही चुना जा सकता था।

2. उसमें दोहरी मतदान सुविधा थी, वे एक वोट का उपयोग पृथक मतदान के द्वारा कर सकते थे और दूसरा वोट आम चुनाव के समय।[38] जिससे इस वर्ग को लाभ होता दिख रहा था।

अम्बेडकर की आलोचनात्मक व्याख्या

अम्बेडकर की आलोचना करना बहुत कठिन कार्य है फिर भी कुछ विद्वानों ने इनकी आलोचना की है वह निम्नलिखित है-

दूबे लिखते हैं कि उन दिनों आजादी की लड़ाई राजनीति में मुख्य लोकप्रिय रूप ले रही थी। अम्बेडकर आजादी की लड़ाई में दलित शक्तियों की स्वतन्त्र भागीदारी की पहल कदमी ले सकते थे और दिखा सकते थे कि इज्जत की लड़ाई और अंग्रेजों से राजसत्ता छीनने की लड़ाई साथ–साथ चलायी जा सकती थी। परन्तु अम्बेडकर ने आजादी की लड़ाई के लोकप्रिय औजार को ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथ में चला जाने दिया। गांधी को 'हरि का जन' जैसी अरुचिकर धारणा विकसित करने दी गई। आजादी की लड़ाई से अम्बेडकर का अपेक्षाकृत अलगाव दलित आन्दोलन के भविष्य के लिये हानिकारक था। जिसके कारण अम्बेडकर की आलोचना होती है।[39]

अम्बेडकर ने दलित व अन्य पिछड़ी जातियों का गठबंधन बनाकर सत्ता प्राप्त करने की

---

[38] Ibid., pp. 264–265.

[39] मोहनदास नैमिशरण, Op.cit., (32), p. 402.

बात कही थीं। क्योंकि उनके अनुसार "राजनैतिक शक्ति ही आप के सर्वांगीण विकास की चाभी है।" रंगनायकम्मा, अपनी पुस्तक में इस बात की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि दलित वास्तव में मजदूर वर्गीय आबादी को राजनैतिक सत्ता की जरूरत ही क्यों थी? यद्यपि खुद को आर्थिक शोषण और अनेक समस्याओं से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता था। परन्तु अम्बेडकर का उद्देश्य यह कतई नहीं था। उनके अनुसार राजनीतिक सत्ता का मतलब है– बर्जुआ विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। यही उनका अभीष्ट उददेश्य था अगर आप से पूछा जाये कि यह प्रतिनिधित्व किस लिये है तो जवाब होगा कि यह शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं बल्कि केवल छिट-पुट सुधारों को हासिल करने के लिये हैं।"[40]

मान लिया कि दलित प्रत्याशियों को चुनावों के माध्यम से विधानमण्डलों में कुछ सीटें मिल जाती हैं तो सत्ता में अपने वर्ग की मुक्ति के लिए वे क्या करेंगे? क्या वे कानूनों में ऐसा फेर-बदल करेंगे जो सम्पत्ति सम्बन्धों को बदल दे? क्या वह ऐसा दबाव बनायेंगे कि जमीन दलितों को दे दी जायें, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं हैं? क्या वे ऐसे कानून बनायेंगे जो उस स्थिति को पलट दे जो दलितों को निकृष्टतम श्रम करने की चौहद्दी में बांध देती है? ना, ऐसा कोई इरादा नहीं है। अम्बेडकर की दृष्टि में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं है।

फिर दलितों की राजनीतिक के सत्ता का उद्देश्य क्या है? दलितों की राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य वही है जो सवर्ण हिन्दुओं का है यानी दलित प्रत्याशी विधानमण्डल में वही सब करते हैं जो सवर्ण हिन्दु करते थे, मतलब यह है कि दलित भी अपनी राजनीतिक सत्ता के माध्यम से इसी व्यवस्था में भागीदार बनते हैं जो वर्तमान समय में शोषणकारी सम्पत्ति-सम्बन्धों को जारी रखते हैं। जहाँ कहीं भी अम्बेडकर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की सीख देते हैं, उन्होंने यह सुझाव कहीं नहीं दिया कि हमें अपनी राजनीति सत्ता के द्वारा इन सम्पत्ति सम्बन्धों को बदल देना चाहिए।

लेकिन अम्बेडकर ने आर्थिक शोषण की गुहार लगायी। क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? तो

---

[40] रंगनायकम्मा (तेलुगु मूल) *'जाति' प्रश्न के समाधान के लिए बुद्ध काफी नहीं, अम्बेडकर भी काफी नहीं, मार्क्स जरूरी है*, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ, 2010, पृ. 414-416.

फिर क्या दलितों की राजनीतिक सत्ता आर्थिक शोषण से मुक्त करने का साधन नहीं? दलितों के विधानमण्डल में प्रवेश के बाद भी जमीन और पूँजी उसी वर्ग के हाथ में रहेगी जैसे पहले थीं। वे सभी कानून जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, यथावट बने रहेंगे। नये कानून भी बनाये जायेंगे क्या उन कानूनों से दलितों को लाभ प्राप्त होगा? नहीं क्योंकि कुछ वर्ग उस कानून का लाभ नहीं उठा सकते जो आज तक वर्ग वंचित रहा है। कुछ वर्ग उस कानून का विरोध करेगे और संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उस संघर्ष को कुचलवाने में वहीं विधानमण्डल के दलित सदस्य भी इतने ही जिम्मेदार होंगे जितने अन्य सदस्य।

आगे कहा जाये तो यदि वे विधानसभा में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो वास्तव में दलितों के हित हिन्दुओं के हित के समान हो जायेंगे और विधानसभा का सदस्य होने के नाते वे जितनी चाहे सम्पत्ति हासिल कर सकते हैं अगर सम्भव हुआ तो वे हिन्दुओं से सांठ-गांठ करके सरकार भी बना सकते है। विधानसभाओं से बाहर भी दुनिया में वह दलित आबादी करोड़ों में है जो विधानसभाओं में प्रवेश नहीं कर सकती और ढेर सारी समस्याओं से लदी हुई है। यदि दलित विधायक उन समस्याओं को याद रखें तो भी खत्म नहीं कर सकते। अगर वे अपनी ही समस्याओं को हल नहीं कर सकतें, तो दलितों के लिए राजनीतिक सत्ता का वही उद्देश्य है जो हिन्दुओं के लिये है जबकि खुद अम्बेडकर ने ही दलितों के लिये खुद कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया तो बेचारा दलित विधायक इससे ज्यादा क्या कर सकता है? वह अपनी ही हालत सुधार ले। जिस कारण अम्बेडकर की आलोचना होती है।

अम्बेडकर दलितों के प्रति कांग्रेस को ब्राह्मणवादी विचारधारा वाली पार्टी कहते थे और उसके प्रखर विरोधी थे। तो कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल में शामिल होने का क्या कारण था? जबकि इनकी विचारधारा भी एकदम अलग थी। अम्बेडकर का विचार 1945 तक तो कांग्रेस के प्रति विरोधी रहा लेकिन 1946 आते-आते ही बदल गया और कांग्रेस ने उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद वह कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल में वह कानून मन्त्री बनें। क्या कांग्रेस में स्वतन्त्रता, समता, बन्धुता दिखाई देने लगी थी? जब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस का झुकाव समाप्त होता गया और उनकी मनपसन्द मन्त्रालय भी नहीं मिल सका जिससे उनको किसी भी

नव गठित कमेटी में जगह नहीं दी गयी जिसके कारण अम्बेडकर ने त्याग पत्र दे दिया था।[41] अम्बेडकर को त्याग पत्र क्यों देना पड़ा? कांग्रेस में शामिल होने पर उनकी आलोचना होती है।

अगली आलोचना इस बात से होती है कि अम्बेडकर ने अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने की मांग की थी परन्तु पूना पैक्ट के अन्दर गांधी के आमरण अनसन के सामने अम्बेडकर क्यों झुके? और अलग निर्वाचन क्षेत्र की उनकी मांग उनके हाथ से निकल गयी और अम्बेडकर दलितों का उद्देश्य पूरा नहीं कर सके।

अम्बेडकर ने जिस गठबंधन की बात कही थी क्या उस गठबंधन में लोहिया की विचारधारा अम्बेडकर कि विचारधारा से मिलती थी? देखा जाये तो लोहिया का विचार हर समय हिन्दुवादी देखा गया है और उनके अन्दर गांधी और राम के प्रति श्रद्धा कम नही थी।[42] यह कोई सन्देह की बात नहीं थी पर उनको दलितों से सच्ची हमदर्दी थी। लेकिन आलोचना इस बात से होती है कि गांधी की तरह वे भी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। जो अम्बेडकर की विचारधारा के विरोधी थी। लोहिया के अनुसार– "हालाँकि सैद्धान्तिक रूप से जाति का निर्माण अच्छा ही होता है क्योंकि जब वर्ग-संघर्ष बहुत तीव्र हो जाता है तो समाज का चलना दुष्कर हो जाता है। तब किसी आधार की खोज की जाती है। जिसमें वर्ग को अन्यायपूर्वक नहीं न्यायपूर्वक बांधकर रखने की कोशिश होती है।"[43] जिससे देखा जाये तो लोहिया और अम्बेडकर के विचारों में भिन्नता दिखाई देती है।

निष्कर्ष

अम्बेडकर के विचारों की आलोचना निराधार है। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिये जिस राजनैतिक सत्ता की बात कही थी। उनकी विचारधारा समता, स्वतन्त्रता व बन्धुता, की घोतक रही है। यदि जो आज भी दलित वर्ग उनकी विचारधारा के अनुसार सत्ता प्राप्त करता है तो आज भी उनकी विचारधारा महत्वपूर्ण साबित होगी, दूसरी आलोचना कांग्रेस के मन्त्रीमण्डल में

---

41 Ibid., p.422.

42 डॉ. रामविलास शर्मा, Op.cit., (31), p.645.

43 मोहनदास नैतिशराय, Op.cit., (32), p.170.

शामिल होने पर की गयी अम्बेडकर ने उस मन्त्रीमण्डलों में कांग्रेस की विचारधारा को दरकिनार करते हुये दलितों के लिये ऐसा कार्य कर दिखाया। जिसके कारण यह वर्ग शोषण से मुक्त होता रहा है और उन कार्यों का लाभ उठाकर वह अपना उत्थान कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल में रहते हुये कांग्रेस की विचारधारा को कभी नहीं अपनाया जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दिया और वही उनका पूना पैक्ट में कार्य था। गांधीजी के प्राणों की खातिर उन्होंने मानवता की सेवा की थी। उन्होंने हर समय अपनी रणनीति को पीछे रखकर नैतिकता को आगे रखा था।

अम्बेडकर ऐसे पहले विद्वान राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा से प्राप्त समता, स्वतंत्रता, व बन्धुता का सवर्ण हिन्दुओं (ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग) के खिलाफ संघर्ष में कभी समर्पण नहीं किया। उन्होंने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और संगठित रहो, के सिद्धान्त के साथ दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके संघर्ष किया जैसे कि महाड़ सत्याग्रह कालाराम मन्दिर सत्याग्रह एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के आन्दोलनों का सहारा लिया।

उन्होंने अपने इन आन्दोलनों से एक राजनैतिक ढाँचा तैयार करके, अनुसूचित व अन्य पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन की राजनीति के सिद्धान्त की पेशकश की। उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को जाति नहीं वर्ग के आधार पर स्थापित किया इसके पश्चात् शेडयूल्ड कास्टस फेडरेशन का गठन किया और इसी बीच उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के साथ गठबंधन बनाने का आह्वान किया और यही नहीं उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव भी लड़ें। इसके पश्चात् अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाने का निर्णय लेकर उसको लोहिया की पार्टी के साथ गठबंधन करने का हर सम्भव प्रयास किया लेकिन उनकी मृत्यु के कारण उनका मिशन पूरा नहीं हो सका।

अम्बेडकर का विचार था कि अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ी जातियों को संगठित करके उसको एक राजनीतिक रूप देकर एक गठबंधन तैयार किया जाये। लेकिन उनके गठबंधन की राजनीति का सिद्धान्त अन्य गठबंधन के सिद्धान्तों से समानता नहीं रखता क्योंकि उनके गठबंधन

की विचारधारा मानवता से प्ररित थी और जो समता, स्वतन्त्रता व बन्धुत्ता की घोतक थी ऐसा अन्य कोई सिद्धान्त दिखाई नहीं देता।

अम्बेडकर ने अपने मिशन को पूरा करने के लिये काफी संघर्ष किया परन्तु उनका मिशन अधूरा ही रह गया। इनके पश्चात् रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तथा दलित पैंथर्स के गठन में अम्बेडकर के बाद के दलित आन्दोलन ने दलित आत्मनिर्भर राजनैतिक दलों को दलित जातियों से निकालकर अन्य पिछड़ी जातियों से जोड़कर व्यापक जनाधार देने का प्रयास किया। परन्तु इसमें इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इसी अतीत से शिक्षा लेकर कांशीराम ने अपने राजनैतिक दल को स्थापित होने से पहले उन्होंने एक सामाजिक ढाँचा तैयार किया। जिसमें वामसेफ और डी.एस.4 के माध्यम से उन्होंने सामाजिक आधार को मजबूत करके 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका अगले अध्याय में विस्तृत रूप में वर्णन किया है।